भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2169

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

एमएसएमई योजनाओं का अभिसरण

2169. श्री मोहिब्बुल्लाहः
श्री तमिलसेल्वन थंगाः
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित योजनाओं के समन्वय में सुधार, दोहराव कम करने और लाभार्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए उनके अभिसरण और युक्तिसंगतीकरण का प्रस्ताव दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई के लिए एक केन्द्रीकृत डिजिटल (एआई-सक्षम) पोर्टल के प्रस्ताव सहित इस संबंध में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा एमएसएमई की ऐसी अभिसरण योजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(घ) उद्यम विकास और सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग पर इन उपायों का क्या प्रभाव अपेक्षित है; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार एमएसएमई के विकास में योगदान देने के लिए ऋण, कौशल विकास, अवसंरचना और संकुल विकास आदि को शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : नीति आयोग ने एक अध्ययन किया है जिसका शीर्षक "स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना" है। अध्ययन रिपोर्ट में नीति कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने, अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाने और संसाधनों को अधिक प्रभावी और कुशल आवंटन सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। एमएसएमई के लिए स्कीमों, उनके अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं, वित्तीय सहायता और बाजार के गहन विश्लेषण को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल का भी सुझाव दिया गया है।

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी), एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, ओडीआर पोर्टल आदि जैसी कई पहलों के माध्यम से एमएसएमई के लिए कारोबार करने में सुगमता के साथ-साथ डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। समन्वय में सुधार, दोहराव को कम करने और एमएसएमई लाभार्थियों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने समय-समय पर योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा मिलकर-कार्यान्वित किया जाता है। इसके घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करना शामिल हैं। इन सभी सेवाओं को सुलभ बनाने और कारीगरों और शिल्पकारों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक एकल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से वितरित किया जाता है। एमएसएमई मंत्रालय हाल ही में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन में भी सह-नेतृत्व कर रहा है।

केंद्र सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों को विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों जैसे कि ऋण, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और क्लस्टर विकास आदि के माध्यम से पूरक करती है। इसमें अन्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई के कार्य निष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन स्कीम (रैम्प), टूल रूम और तकनीकी संस्थान जैसे प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता, ऋण सहायता और प्रौद्योगिकी अपनाने की पहलें शामिल हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम के तहत कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमियों को अपने व्यक्तिगत उद्यमशीलता कौशल में सुधार करने और अपने व्यवसाय या उद्यम के संवर्धन में सहायता करने के लिए बुनियादी और उन्नत उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत घटकों में कौशल उन्नयन शामिल हैं।

****